



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-25032023-244669
CG-HR-E-25032023-244669

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]
No. 195]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 15 मार्च, 2023

जेईआरसी-29/2023.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा (1) और धारा 19 की उप-धारा (1)के संदर्भ में, श्री धीरज यादव, प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा श्री सुनील दत्त शर्मा, निदेशक (वित्त एवं विधि) को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्य से नामित किया गया है।

एस.डी.शर्मा, सचिव(I/c), जेईआरसी
[विज्ञापन-III/4/असा./721/2022-23]

**JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For the State of Goa and Union Territories)**

NOTIFICATION

Gurugram, the 15th March, 2023

JERC-29/2023.—In terms of sub-section (1) of Section 5 and sub-section (1) of Section 19 of Right to Information Act, 2005, Shri Dheeraj Yadav, Administrative-cum-Accounts officer has been designated as Central Public Information Officer and Shri Sunil Dutt Sharma, Director (Finance & Law) has been designated as Appellate Authority for the purpose of Right to Information Act, 2005.

S.D. SHARMA, Secy. (I/c), JERC
[ADVT.-III/4/Ext./721/2022-23]

1985 GI/2023